

पत्र संख्या-1058-सा०पु०  
बिहार सरकार  
साहाय्य एवं पुनर्वासि विभाग

प्रेषक

श्री विजयेन्द्र किशोर शर्मा,  
सरकार के उप-सचिव।

सेवा में

जिलाधिकारी,  
नालन्दा, बिहार शरीफ।

पटना-15, दिनांक- 10 मई 1988

विषय:—अग्निबांड की पटनाओं में क्षतिग्रस्त परिवारों का साहाय्य देने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पुनर्वासि को आयुक्त सम्बोधित आपके ज्ञापांक 34 साहाय्य, दिनांक 30 अप्रैल 1988 के प्रसंग में सूचित करना है कि बिहार बाढ़, अकाल साहाय्य संहिता के प्रावधानों के अनुसार मात्र फसल या खलिहान की आग से क्षति के लिये किसी प्रकार का मुआवजा अथवा साहाय्य देने का प्रावधान नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस तरह का कोई साहाय्य देना आरंभ नहीं करें। खलिहान या फसल अग्निबांड से प्रभावित होने पर किसी प्रकार की आर्थिक सहायता संहिता की वर्तमान नियमों के अंतर्गत नहीं होगी।

उप-समाहर्ता प्रभारी सहाय्य नालन्दा के पत्र सं०-24।मु०, दिनांक-16 अप्रैल 1988 के प्रसंग में पूर्व में भी आपको विभागीय पत्रांक 1522, दिनांक 30 अप्रैल 1988 द्वारा इस तरह की सूचना दी जा चुकी है। ऐसे परिवारों को कुषि ऋण अथवा प्राकृतिक आपदा ऋण दिया जा सकता है।

विश्वासभाजन,  
विजयेन्द्र किशोर शर्मा,  
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञापांक 1658 सा०पु०

दिनांक 10 मई 1988

प्रतिलिपि—आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

विजयेन्द्र किशोर शर्मा,  
सरकार के उप-सचिव।

आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना।

ज्ञाप सं०-632 वि० पटना, दिनांक 26वीं मई 1988

प्रतिलिपि—जिलाधिकारी, पटना। भोजपुर द्वारा। रोहतास, सासाराम को सूचनाय एवं मार्ग दर्शनार्थ प्रेषित।

(ह०)—अस्पष्ट  
क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,  
पटना प्रमंडल, पटना।

ज्ञापांक 642 दिनांक 6 जून 88

प्रतिलिपि—सभी अनुमंडलाधिकारी। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०)—अस्पष्ट,  
अपर समाहर्ता, पटना।